

- (ख) अनुसूची III- 9%, में- कॉलम (3) क्र.सं. 15 के सामने, “सामान्यतः मुरकी के नाम से ज्ञात” शब्दों के पश्चात “, फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफ़आरके)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) ‘प्री-पैकेज्ड और लेबल’ वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइट्स, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 611(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 01/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 50(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017- Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule I – 2.5%, after S. No. 98A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“98B.	1904	Fortified Rice Kernel (FRK)”;
-------	------	-------------------------------

- (b) in the Schedule III – 9%, against S. No. 15, in column (3), after the words “commonly known as Murki”, the words “, Fortified Rice Kernel (FRK)” shall be inserted;
- (c) after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: -The principal notification No. 1/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 5/2024 – Central Tax (Rate), dated the 08th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 611(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 01/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 51(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची 1 - 2.5%, में- क्रम संख्या 98क के पश्चात, एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“98ख.	1904	फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)”
-------	------	------------------------------------

(ख) अनुसूची III- 9%, में- कॉलम (3) क्र.सं. 15 के सामने, “सामान्यतः मुरकी के नाम से ज्ञात” शब्दों के पश्चात “, फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (एफआरके)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) ‘प्री-पैकेज्ड और लेबल’ वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए है और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमे वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”.